आदेश

[illegible] वाद मेरे न्यायालय में दिनांक 18-12-2000 को दायर कियागया । अंचल [illegible]री पाण्डेय के द्वारा विविध वाद सं0 1/2000-01 इन्द्रीस मियां में दिये गये [illegible] के विरूद्ध पिता स्व0 बुधु मियां ग्राम कुन्डीवादह के द्वारा अपील वाद दायर किया गया । इस वाद में इद्रीस मियां पिता बुधु मियां अपीलार्थी हैं एवं नासीर मियां पिता समीर मियां मौजा कुण्डिलवादह विपक्षी हैं ।

इस वाद में दोनों पक्षों को विभिन्न तिथियों में नोटिस निर्गत किया गया । प्राप्त नोटिस के आधार पर दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया । साथ ही साथ विपक्षी ने मौजा कुण्डिलवादह का राजस्व पंजी II नया एवं पुरान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । मूल राजस्व पंजी II न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । साथ ही साथ निम्न न्यायालय अंचल [illegible] का विविध वाद सं0 - 1/2000-2001 प्राप्त हुआ ।

आवेदक की ओर से वकील ने कहा कि मंगर मियां एवं चरकु मियां मौजा कुण्डिलवादह के खाता नं0 1 में 14 विगहा भूमि भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है, उनका कहना है कि चरकू मियां के पुत्रों के द्वारा बुधु मियां अपने हिस्से की भूमि निबंधित दस्तावेज से बिक्री किया गया । बाद में बुधु मियां को दो भाई के द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज द्वारा प्राप्त हुआ ।

उपलब्ध राजस्व कागजातों से स्पष्ट होता है कि मंगर मियां वो चरकू मियां पिता दिनू मियां को भूतपूर्व जमीन्दार से मौजा कुण्डिलवादह खाता नं0 1 कुल रकबा 14 विगहा भूमि बन्दोवस्ती से प्राप्त हुआ जिसकी जमाबंदी प्रारम्भ में मंगर मियां वो चरकू मियां केनाम से कायम था । चरकू मियां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीरवल मियां वो मोली मियां द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 1127 दिनांक 2-2-61 द्वारा पैरो मियां, बुधु मियां, करीम मियां एवं आसीन मियां पि0 कोदो मियां को खाता नं0 1 का $6\frac{3}{4}$ पौने सात विगहा जमीन बिक्री कर दिया गया । चरकू मियां के पुत्र द्वारा बिंधित दस्तावेज सं0 1127 दिनांक 2-2-61 द्वारा बिक्री किये जाने पर पूर्व से मंगर मियां एवं चरकू मियां के नाम कायम जमाबंदी से चरकू मियां का नाम क्रेता पैरो मियां वगैरह का नाम अलग पृष्ट पर जमाबंदी कायम कीजानी चाहिए थी, परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा ऐसा न कर वर्ष 1961 के आस-पास संधारित पंजी II में मंगर मियां वो बुधु मियां वगैरह के नाम जमाबंदी

7/5/03

दिनांक 31-1-77 द्वारा नासीर मियां पिता तागीर मियां जो विपक्षी हैं, के ता 3.20 ए0 भूमिबिक्री किया गया परन्तु 2.60 ए0 भूमि में ही दखल कब्जा रहने के 2.60 ए0 की जमाबंदी नासीर मियां के नाम कायम किया गया । मंगर मियां एवं बुद्धु मियां के कायम जमाबंदी में से 2.60 ए0 भूमिघटाया गया है । एवं उस पृष्ट पर 5.50 ए0 भूमि बुद्धु मियां, कैरो मियां एवं आसीन मियां पिता कोदो मियां का नाम अंकित है जिसमें 2.60 एकड़ भूमि नासीर मियाँ के नाम से घटाया गया दिखाया गया है एवं बी0बी0 सैरून वगैरह के नाम से 76 डी0 घटाया गया है जो पृष्ट सं0 $\frac{100}{2}$ में दिखाया गया है । इस प्रकार उक्त पंजी II में 2.14 एकड़ शेष जमीन दिखाया गया है ।

इस वाद के अवलोकन से पता चलता है कि बुद्धु मियां द्वारा कहा जा रहा है कि केवाला से प्राप्त न होकर हुकुमनामा उनके पिता के नाम से प्राप्त है । अत: उनके पिता के भाईयों का जमीन बिक्री का हक नहीं था ।

उपलब्ध कागजातों एवं बहस के दौरान पता चला कि 11 एकड़ भूमि [illegible] विगहा भूमि मंगर मियां वो चरकू मियां को भूतपूर्व जमीन्दार से प्राप्त है जिसकी जमा-बंदी पूर्व से कायम है ।

इस वाद में चरकू मियां के वारिसानों के द्वारा पौने सात विगहा [illegible] बुद्धु मियां के नाम से बिक्री कर दिया गया । इसके बाद करीम मियां के लापता [illegible] होने के बाद शेष दोनों क्रेताओं द्वारा 3.20 एकड़ भूमि आवेदक नासीर मियां को बिक्री किया गया । दखल के अनुसार 2.60 ए0 की जमाबंदी 85/85-86 दाखिल-खारिज वाद के अनुसार कायम होकर चल रहीहै ।

पंजी II के पृष्ट सं0 88 के कॉलम-1 पर मंगर मियां वो बुद्धु मियां के नाम से 11- एकड़ की जमाबंदी खाता नं0 1 की चल रही है । सुनवाई के समय राजस्व पंजी II प्रस्तुत किया गया । पूर्व में पंजी II में बुद्धु मियां वगैरह था जबकि चालू पंजी में केवल बुद्धु मियां ही है, जबकि रकबा भी वही है । बुद्धु मियां की चालू पंजी II के अनुसार चल रही जमाबंदी में आधा हिस्सा की मांग की जा रहीहै ।

बहस के दौरान वकील ने कहा कि राजस्व पंजी II का अवलोकन किया जाय । पुरानी राजस्व पंजी II कर्मचारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । पुरानी राजस्व पंजी II की पृष्ट सं0 93 [illegible] खाता नं0 1 [illegible] 14 विगहा जो मंगर मियां, [illegible]

7/5/13

नई राजस्व पंजी II के पृष्ट सं0 55 में मौजा कुण्डिलबादह के खाता नं0 1/3 रकबा 14 बिगहा मंगर मियां, वुधु मियां पिता जियो मियां वो कोदो मियां के नाम नाम अंकित है, देखने से प्रतीत होता है कि वुधु मियां पिता कोदो मियां का नाम manipulation कर जोड़ा गया है एवं चरकू मियां पिता जियो मियां का नाम हटाया गया है । इस सन्दर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष 1959/2001-144 सी0आर0पी0सी0 का मुकदमा चला था । जिसमें नासीर मियां प्रथम पक्ष एवं आसीन मियां द्वितीय पक्ष थे। इसमें विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी ने लिखा है कि प्रथम पक्ष का दावा ज्यादा तर्क संगत एवं जायज है ।

इस प्रकार दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन किया । अंचल अधिकारी, गाण्डेय के फैसला से पुर्नतः सहमत होते हुए अपलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी गाण्डेय के द्वारा दिये गये फैसला को सही करार किया जाता है ।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, 7/5/03
गिरिडीह ।

लेखापित

7/5/03

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह ।